कार्यालय नगर पालिका परिषद गौरा बरहज, जनपद–देवरिया

पत्रांक 537 / 14न0पा0परि0 (2014–15) दिनांक : 13/06/14

अल्पकालिक निविदा–सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग निधि / पालिका निधि से ग्रीष्म ऋतु में आम जन को राहत हेतु शीतल जल उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित सामग्री क्रय किया जाना है, जिसकी मुहरबन्द निविदा दिनांक– 24.06.2014 को 2.00 बजे तक आयकर / फर्म / कम्पनी से क्रय किये जाने हेतु आमंत्रित की जाती है, प्राप्त निविदा उसी दिन 3.30 बजे अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निविदा दाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी। इच्छुक फर्म निर्धारित मूल्य जमा कर नगरपालिका कार्यालय से दिनांक– 21.06.2014 तक किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। निविदा दाता को जमानत / धरोहर धनराशि के रूप में रू0 20000.00 (बीस हजार रूपये मात्र) एन0एस0सी / एफ0डी0आर0 / नगद आदि जो अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद गौरा बरहज पदनाम से बन्धक हो मूल रूप से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा उसका उल्लेख निविदा में करना अनिवार्य होगा। निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तों की जानकारी निविदा तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस या कार्यावधि में नगरपालिका परिषद गौरा बरहज से की जा सकती है। निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत किये जाने का अधिकार अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद गौरा बरहज में निहित होगा। निविदा सम्बन्धित शर्तों की जानकारी कार्यालय दिवस में निविदा तिथि के पूर्व प्राप्त किया जा सकता है।

अद्योहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा की किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त कर दें। निविदा स्वीकृति के पश्चात आवश्यक स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। सूचना बेवसाईट **www.deoria.nic.in** पर उपलब्ध होगा।

सामग्री का विवरणः–

क्रम सं0	सामग्री का नाम	क्षमता	मात्रा	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य	सामग्री आपूर्ति की अन्तिम तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	वॉटर कूलर (वोल्टास), स्टेपलाइजर, 500लीटर टंकी व स्थल पर लोहे का जाली सहित फिटींग कार्य।	80 लीटर	6 अदद	20000.00	500.00	पन्द्रह दिन

नियम व शर्ते–

1. निविदादाता को अनिवार्य रूप से अपना वैट में पंजीयन प्रमाण–पत्र व अधिकृत विक्रेता का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा स्वीकृति के पश्चात् एक सप्ताह कें अन्दर फर्म को नियमानुसार कार्य के सम्बन्ध में स्टाम्प एक्ट के अनुसार जमानत धनराशि के सापेक्ष अपने व्यय से स्टाम्प क्रय कर अनुबन्ध / इकरारनामा अनिवार्य रूप से लिखना होगा।
3. फर्म को आपूर्ति आदेश दिये जाने के प्रन्द्रह दिन के अन्दर पूर्ण करना होगा। यदि निर्धारीत समय तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो फर्म द्वारा जमानत की धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
4. जमानत की धनराशि स्थल पर सामान की आपूर्ति एवं अन्य कार्य पूर्ण होने पर ही भुगतान किया जायेगा अन्तिम भुगतान के पश्चात् छः माह व्यतीत हो जाने पर जमानत धनराशि वापस की जा सकेगी।
5. निविदादाता को सामग्री आपूर्ति पालिका द्वारा चयनित स्थलों पर फिटींग कार्य सहीत निविदा में स्पष्ट रूप से प्रति अदद दर में देनी होगी। पालिका द्वारा अलग से कोई व्यय मान्य नहीं होगा।
6. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।
7. निविदा प्रपत्र पर निविदादाताओं के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा संलग्न जमानत धनराशि का उल्लेख निविदा प्रपत्र पर अंकित होना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
8. किसी भी फर्म अथवा उसके सहयोगी द्वारा निविदा इत्यादि कार्य में अपमान, अभद्रता, दुर्व्यवहार इत्यादि करने पर सम्बन्धित को ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में) करते हुए प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी जायेगी।

9. निविदा पत्र पर कटिंग/ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा।
10. निविदा स्वीकृति के पश्चात् जमानत की धनराशि तथा नियमानुसार स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा लिखने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
11. सम्बन्धित फर्मो/एजेन्सीयों द्वारा अपने फर्म/एजेन्सी के लेटर पैड पर निविदा प्रपत्र में दिये गये दर के अनुसार निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर क्रय सामग्री का निविदा मोहर बन्द लिफाफे में देना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. भुगतान शासकीय अनुदान की शर्तो तथा वित्तीय नियम संग्रह के अनुसार किया जायेगा।
13. निविदा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के नाम शीलबन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि समय पर निविदा पेटिका में डालना होगा, लिफाफे पर प्रेषक का नाम, पता इत्यादि स्पष्ट लिखा अनिवार्य है।
14. यदि ठेका प्राप्त करने के पश्चात फर्म के विरूद्ध माफिया गतिविधियों/असामाजिक गतिविधियों व संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी जाती है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आपका अनुबंध निरस्त कर दें। इस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी/आपके द्वारा यदि विभाग/राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अपराधिक कृत्य किया जाता है अथवा सरकारी धन का गबन किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह आपके विरूद्ध अपराधिक मुकदमा नियमों के अन्तर्गत दर्ज करायें।
15. सामग्री का मात्रा में कमी अथवा बृद्धि करने का अधिकार अद्योहिस्ताक्षरी में निहित होगा।
16. यह कि टी–6, स्वघोषणा शपथ–पत्र रू0 100/–(एक सौ रूपये) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए दिया जायेगा। जिसे निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. उपरोक्त शर्त कमांक 1 से 16 तक के अतिरिक्त परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी, नगरपालिका परिषद गौरा बरहज में निहित होगा।

(राधेश्याम)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

(अजीत जायसवाल)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

पत्रांक /14न0पा0परि0 (2014–15) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
2. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा" एवं "एकता हमारी प्राचीन परम्परा" देवरिया को इस आशय से प्रेषित है कि निविदा सूचना न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल पालिका कर्यालय मे भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. उप जिलाधिकारी, बरहज।
5. जिलाधिकारी एन0आई0सी0 कार्यालय, देवरिया।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया